



पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1845/1 कुल रकबा 0.0809 बीघा, मौजा आ0कालू-1 जिसकी किस्म बारानी अव्वल है, अर्थात् कृषि योग्य भूमि है का बिना विधिक प्रक्रिया कार अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर दूकानें बनाकर काम में लिया जा रहा है। पटवारी आ0कालू-1 की मौका फर्द दिनांक 26.04.2023 से इस तथ्य की भली-भाँति पुष्टि होती है। खातेदार द्वारा बावजूद सम्मन सूचना के न तो उक्त तथ्य का खण्डन किया है एवं न ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर दूकाने बनाकर अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता हैं, तथा यह खातेदार के खातेदारी अधिकारों का विलोपित करते हुए बेदखल किए जानें का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी तहसीलदार, जैतारण का वाद-पत्र भली-भाँति साबित होता है, अतः प्रतिवादी खातेदार को वादग्रस्त आराजी में से खातेदारी, अधिकारों को विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी सिवाय चक खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम- आ0कालू-1, तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर 1845/1, रकबा 0.0809 बीघा, किस्म- बारानी अव्वल, में से 04 दूकानें 10F×20F साईज की = 800 वर्गफीट एवं एक गोदाम 30F×30F= 900 वर्गफीट, कुल 1700 वर्गफीट भाग जो कि वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,  
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 20/11/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,  
(जिला-ब्यावर)



**डिक्री बमुकदमें इब्तदाई**  
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण  
बईजलास :- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

वादी :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. तहसीलदार, जैतारण  
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार  
तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर  
राज0।

1. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल  
जाति-कुमावत  
2. बाबूलाल पुत्र ढगलाराम कौम-माली  
निवासी- आ0कालू-1 जिला- ब्यावर,।

राजस्व वादपत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा ,  
177 राजस्थान काश्तकारी

मु0न0 :रा0वा0 स0: 214/2023

अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम- आ0कालू-1, तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर 1845/1, रकबा 0.0809 बीघा, किस्म- बाराणी अव्वल, में से 04 दुकानें 10F×20F साईज की = 800 वर्गफीट एवं एक गोदाम 30F×30F= 900 वर्गफीट, कुल 1700 वर्गफीट भाग जो कि वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-..... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20/11/2024 को जारी किया गया।



सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
जिला- ब्यावर

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।